"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7 (पार्ट-1).—चूंकि जिला बस्तर के थाना दरभा अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित की गई हिंसात्मक घटना हुई है ;

चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात् :—

(1) जीरमघाटी में दिनांक 25-05-2013 को किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई ?

(2) क्या घटना को घटित होने से बचाया जा सकता था ?

(3) क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी अथवा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हुई ?

(4) क्या सुरक्षा के लिये सभी निर्धारित प्रक्रियाओं, आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन सुरक्षा तंत्रों द्वारा किया गया था ?

(5) क्या सुरक्षा के लिये सभी निर्धारित व्यवस्थाओं एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन रैली के आयोजकों द्वारा किया गया था ? और यदि हां तो उसे किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था ? और यदि नहीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(6) क्या राज्य के पुलिस बलों एवं अन्य सशस्त्र बलों के बीच समुचित समन्वय रहा ?

(7) घटना के पूर्व, घटना के दौरान या घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे जो घटना से संबंधित हो, उस बाबत तथ्यात्मक प्रतिवेदन.

(8) भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचने के लिये सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव तथा उपाय.

(9) अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो घटना से संबंधित हो.

2. अत: जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करता है जिसके एकल सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर होंगे. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.